

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पत्र संख्या :- 102/2025 दिनांक 22/5/25

अनवान

2025/261

गोपाल लाल पुत्र लीला लाल धाफड़ वगैरे

निवासी- खेरी ताल बेंद्रे प्रार्थी/प्रार्थीगण
बनाम

लखनभन्द पुत्र रामभन्द धाफड़ वगैरे
निवासी- खेरी ताल बेंद्रे विपक्षी/विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अधिवक्ता श्री गुफान सिंह के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा खेरी पटवार हल्का खेरी की आराजी संख्या 512, 513, 525, 677, 678, 700, 709, 713, 714, 799 कुल कीता-10 कुल रकवा 0.9900 बी, कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा खेरी पटवार हल्का खेरी की आराजी संख्या 512, 513, 525, 677, 678, 700, 709, 713, 714, 799 कुल कीता-10 कुल रकवा 0.9900 बी भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1550/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
कीता-

उपखण्ड अधिकारी, वेगूं
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 351

प्रार्थना पत्र संख्या 102/25 व अनवान गोपाल लाल पुत्र लीला लाल धाफड़ वगैरे प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्तु पालनार्थ दी जाती है।

नोट - अगर (हिले) प्रकार का निवाड (हिले) का पत्र लिखें
व पत्रा गोंका धारितर पुनः (हिले)

उपखण्ड अधिकारी, वेगूं
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)